

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर  
// आदेश //

क्रमांक A/1908 /

जबलपुर, दिनांक 02/03/2024

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट को नियमित वाहन चालक के पद पर 7वें वेतनमान में लेवल 4 पे मेट्रीक्स 19500–62000 (रूपये 5200–20200 + ग्रेड पे 1900/-छठवें वेतनमान) में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदोन्नत किया जाता है :—

क्रमांक	नाम	पदोन्नत पद	टीप
1	2	3	4
1.	श्री नीरज कुमार यादव आत्मज श्री सुरेश कुमार यादव, कोर्ट अटेंडेन्ट	नियमित वाहन चालक	रिक्त पद पर
2.	श्री इस्लाम नवी आत्मज श्री रफीक मोहम्मद, कोर्ट अटेंडेन्ट	नियमित वाहन चालक	रिक्त पद पर, (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता 10वीं उत्तीर्ण की शर्त को शिथिल करते हुए)
3.	श्री मोहित विश्वकर्मा आत्मज श्री रमेश विश्वकर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट	नियमित वाहन चालक	रिक्त पद पर

- यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
- यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
- यह कि, उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेंगी।
- यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- यह कि, उनकी पदोन्नति इस उपबंध के साथ की जाती है कि वे किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थता एवं नेत्र परीक्षा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थता प्रमाण-पत्र का व्यय उन्हें स्वयं उठाना होगा।

//2//

7. यह कि, कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
8. यह कि, जब भी उन्हें माननीय न्यायाधिपतिगण, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय या उनके निवास स्थान पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने अथवा उनके साथ मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने के निर्देश होंगे उनको तत्परता से पालन करना होगा।
9. यह कि, किसी भी अवकाश या सार्वजनिक अवकाश पर माननीय न्यायाधिपतिगण, रजिस्ट्रार जनरल अथवा अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देशों का तत्काल पालन करेंगे।
10. यह कि, उनके प्रभार में सौंपी गयी स्टाफ कार अथवा उच्च न्यायालय के अन्य वाहन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित, साफ-सुथरी या सुरक्षित रखने एवं समय-समय पर वाहन की सर्विसिंग कराने तथा आवश्यकता अनुसार डिस्ट्रिल्ड वाटर बदलने आदि की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
11. यह कि, नियमानुसार कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व वाहन चालक का लायरेंस प्रस्तुत करें एवं अपने कर्तव्य के समय लायरेंस अपने पास रखें।
12. यह कि, उन्हें घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने कर्तव्य के समय किसी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे।
13. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय

के आदेशानुसार,

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A / 1909 /

जबलपुर, दिनांक 02/03/2024

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.)/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई/आई.एल./कम-पी.पी.एस/एक्जाम एण्ड लेबर ज्यूडिशरी/सतर्कता, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.) प्रोटोकाल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

// 3 //

8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/लेखा/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/बजट पेंशन/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफिसर, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. श्री नीरज कुमार यादव आत्मज श्री सुरेश कुमार यादव, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
12. श्री इस्लाम नवी आत्मज श्री रफीक मोहम्मद, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
13. श्री मोहित विश्वकर्मा आत्मज श्री रमेश विश्वकर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

१५  
२३२५  
(संजय कुमार सिंह)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)